

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक-21.03.2023

श्री पी0सी0 मीना ,अपर पुलिस महानिदेशक,बरेली जोन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र एवं जोन के जनपद प्रभारियों को गूगल मीट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

आज दिनांक 21.03.2023 को श्री पी0सी0 मीना , अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र/पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र एवं बरेली जोन के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, को गूगल मीट के माध्यम से आगामी त्यौहार चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, नवरोज पर्व, ईद-उल-फितर, रमजान, झूलेलाल/चेटीचन्द जयंती को सकुशल सम्पन्न कराने, अपराध नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, जो कि निम्नवत है:-

- 1- थाने पर त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर लिया जाये तथा क्षेत्र में लगने वाले मेंलों आदि पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया जाये।
- 2- उक्त त्यौहार पर निकलने वाले जुलूसों का सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु मानक के अनुसार पुलिस फोर्स तैनात किया जाये।
- 3- त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूसों के मार्ग का पूर्व में ही निरीक्षण कर लिया जाये तथा त्यौहारों पर लगने वाले मेला स्थलों, मन्दिरों आदि पर भी सुरक्षा के प्रबन्ध किये जाये।
- 4- झूलेलाल जयंती पर निकलने वाले जुलूसों में बॉक्स फॉरमेशन में ड्यूटी लगायी जाये।
- 5- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में रूफ टॉप ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
- 6- रंजितन हत्या के प्रकरणों व धार्मिक भावनाओं से जुड़े प्रकरणों को सूचीबद्ध कर समीक्षा कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कर ली जाये।
- 7- शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी, प्रबुद्ध वर्ग एवं धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर ली जाये।
- 8-सनसनीखेज अपराधों(हत्या, लूट एवं डकैती) की घटनाओं पर राजपत्रित अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुँचे तथा गुण-दोष के आधार घटना का शीघ्र अनावरण करना सुनिश्चित करें।
- 9- सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल खण्डन किया जाये। सोशल मीडिया सेल में इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाये।
- 10- गौकशी की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही कर गौकशी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व उनकी सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये। गौकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाये।
- 11- गौवध निवारण एवं पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में गुण-दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये।
- 12- दो समुदायों के मध्य पंजीकृत धारा 363,366 भादवि के अभियोगों में अपहर्ता की बरामदगी कर उनका शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये।
- 13- मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त बड़े माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
- 14- सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु जनपद में प्रभावी यातायात प्लान बनाकर उसका सख्ती से पालन कराया जाये।
- 15- माफियाओं को चिन्हित करें एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के गैंगो का पंजीकरण कर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
- 16- अपराधों में नियंत्रण हेतु गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण कराया जाये।

- 17- महिला सम्बन्धी अपराधों व छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश हेतु महिला सुरक्षा दल को सक्रिय किया जाये।
- 18- सार्वजनिक स्थानों(पार्क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर व मॉल आदि) पर नियमित पुलिस गश्त भेजी जाये।
- 19- बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट के लम्बित अभियोगों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
- 20- बरेली जोनल कार्यालय से जनपदों को निस्तारण हेतु भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।